


09.09.2025 वकिल प्रार्थनी अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी शर्त में आवेदन पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थनी का आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर डाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा